

प्रेषक,

रघुनाथ सुन्दर अग्निहोत्री,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2, माण्डाप केन्द्र,
प्रोविन्स बिहार, नई दिल्ली ।

विषय: 171 अनुदान

मकसद: दिनांक: 6 नवम्बर, 2000

विषय:- राधानुजय पब्लिक स्कूल, झाडाबाद को सी०बी०एन०ई० नई दिल्ली से संबन्धता हेतु अनारपित प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में ।

संदर्भ,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कले का निदेश प्राप्त हुआ है कि राधानुजय पब्लिक स्कूल झाडाबाद को सी०बी०एन०ई० नई दिल्ली से संबन्धता हेतु अनारपित प्रमाण-पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं के अर्जिन प्राप्यत नहीं है :-

- 111 शिक्षाभ्य की सुवीकृत होनापटी का समय-समय पर नवीनीकरण करावा जायेना ।
- 121 विद्यालय की प्रवेश समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होना;
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित होंगे और उनसे उ०५० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा सुचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये नियमित फुल टै अर्थिक फुल नही लिया जायेना ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से शिक्षा अनुदान की मांग नही की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा केन्द्रीय शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा फिर विद्यालय की संबन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबन्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०५० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगे ।
- 151 संस्था केवल एक शिक्षाभ्य के लिये ही राज्यीय सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के लिये ही अनुसूचित बालबालकों तथा अन्य भक्तों से कम बालबालकों तथा अन्य भक्तों नही दिये जायेगे ।
- 161 लक्ष्मणारियों की सेवा का कोई कार्य जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त आगतकीय उ०मा० विद्यालयों के लक्ष्मणारियोंके अनुसूच्य सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगे ।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय को भी अर्जिन निदेश दिये जायेगे

For BRIJ NATH DINA NATH MEMORIAL
EDUCATIONAL SOCIETY
VICE-CHAIRMAN

Sesh Asher
[Signature]

- 180) उनका पालन करनी ।
 - 181) विद्यालय का रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र/विषयों में रखा जायेगा ।
 - 191) उच्च कक्षा में राज्य सरकार के पूर्वनिर्धारित के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिष्कार नहीं किया जायेगा ।
- 2- उच्च प्रतिष्ठानों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होना और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उच्च प्रतिष्ठानों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की वृद्ध या कमिश्न करती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भारतीय,

। स्वयं हस्तर अग्निहोत्री ।
संयुक्त हयिब ।

पुणे-2261111/15-7-2000 दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुधनाथ का आयुक्त कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- विद्या निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मन्त्रीय संयुक्त विद्या निदेशक, झाडाबाद ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, झाडाबाद ।
- 4- निरीक्षक अग्न भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ ।
- 5- प्रमुख, रामानुजम पब्लिक स्कूल, त्रिविन्त नाहन, झाडाबाद ।
- 6- गार्ड फाइल ।

आता है,

। स्वयं हस्तर अग्निहोत्री ।
संयुक्त हयिब ।

Sely Atsted.

For BRIJ NATH DINA NATH MEMORIAL
EDUCATIONAL SOCIETY

[Handwritten Signature]

VICE-CHAIRMAN